FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत **न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)** मुकाम **जोधपुर**

भंवरसिंह व अन्य **बनाम्** श्रतनसिंह व अन्य

किस्म मुकदमा – 151 सी.पी.सी. 1908

मुकदमा संख्या – C/19/2026 **जीसीएमएस नं** 2026/109

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.05.2026	प्रार्थी जवानसिंह पुत्र इन्द्रसिंह व अन्य की ओर से एक प्रार्थना पत्र बाबत् स्थगन आदेश में संशोधन करने हेतु अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. 1908 के तहत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गिरधरसिंह भाटी उपस्थित। मूल वाद में वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र की प्रति प्राप्त की गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर आयन्दा दिनांक 06.05.2026 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
06.05.2026	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। मूल वाद के वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने हस्तगत प्रार्थना पत्र में यह निवेदन किया कि ''प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं. 214 व 215 ग्राम बालरवा तहसील व जिला जोधपुर में आया हुआ है। उक्त खेत में जाने हेतु खसरा सं. 210 में से होकर जाना पड़ता है। जिसके लिए प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी जोधपुर दक्षिण के समक्ष रास्ते हेतु धारा 251–ए राज.काश्त.अधि. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी जोधपुर दक्षिण के द्वारा दिनांक 01.04.2026 को स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 210 ग्राम बालरवा में सार्वजनिक रास्ते का आदेश पारित किया गया। परन्तु उक्त खसरा संख्या 210 के संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या ए–04–2023 (2023/9) बअनवान् भंवरसिंह व अन्य बनाम् रतनसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधि. के निर्णय दिनांक 21.06.2024 के द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि उक्त आदेश दिनांक 21.06.2024 में आंशिक संशोधन कर रास्ता कटाण किए जाने व खोलने का आदेश प्रदान करावे।'' मूल वाद में वादी अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र का खण्ड़न करते हुए यह कथन किये हैं कि ''प्रार्थीगण मूल वाद में सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पक्षकार नहीं है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।`` उक्त कथन का प्रार्थन पत्र पर अंकन कर हस्ताक्षर किये। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत स्थगन आदेश में संशोधन किए जाने बाबत आवेदन पत्र पर सुनवाई की गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। – प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन में निवेदन किया गया है कि पत्रावली संख्या 4/2023 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 21.06.2024 में संशोधन करते हुए उन्हें खसरा नम्बर 210 में रास्ता कटान एवं मार्ग खोले जाने संबंधी आदेश प्रदान किया जाए। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण के खेत तक पहुंचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा पूर्व में सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दक्षिण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में रास्ता स्वीकृत किया गया था, किन्तु वर्तमान स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण उक्त मार्ग का उपयोग नहीं किया जा पा रहा है। – गैर–प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया तथा यह कथन किया गया कि वर्तमान प्रार्थीगण न तो मूल वाद में पक्षकार हैं और न ही उक्त प्रार्थना पत्र संबंधी कार्यवाही में किसी प्रकार से पक्षकार रहे हैं। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि मूल पत्रावली पूर्व में ही अंतिम रूप से निस्तारित की ज़ा चुकी है, अतः वर्तमान प्रार्थना पत्र विचारणीय नहीं होकर खारिज किए जाने योग्य है। – पत्रावली के समस्त अभिलेखों एवं आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि जिस मूल प्रार्थना पत्र संख्या 4/2023 के संबंध में यह संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया गया है, वह पत्रावली पूर्व में ही अंतिम रूप से निर्णित एवं निस्तारित की जा चुकी है। उक्त प्रकरण में दिनांक 21.06.2024 को आदेश पारित होने के उपरांत पत्रावली फैसल होकर बंद की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में निस्तारित प्रकरण में पुनः संशोधन हेतु आवेदन विचारणीय नहीं रह जाता। – अभिलेखों से यह भी जाहिर होता है कि वर्तमान आवेदन प्रस्तुत करने वाले प्रार्थीगण मूल वाद अथवा उक्त प्रार्थना पत्र संबंधी कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे। न तो उनका नाम मूल पत्रावली में अंकित है और न ही उनके द्वारा पूर्व में पक्षकार बनाए जाने संबंधी कोई आवेदन प्रस्तुत कर स्वीकृत कराया गया। अतः ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो मूल कार्यवाही में पक्षकार नहीं रहे हों, निस्तारित प्रकरण	

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में धारा 151 सीपीसी के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जाना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। – यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 151 सीपीसी के अंतर्गत न्यायालय को प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग न्याय के हित में केवल उन्हीं परिस्थितियों में किया जा सकता है, जहाँ विधि में अन्य कोई वैकल्पिक प्रावधान उपलब्ध न हो तथा न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही विद्यमान हो। किन्तु प्रस्तुत मामले में मूल पत्रावली पूर्व में ही अंतिम रूप से निस्तारित हो चुकी है तथा वर्तमान प्रार्थीगण उस कार्यवाही के पक्षकार भी नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में धारा 151 सीपीसी के अंतर्गत किसी प्रकार का संशोधन अथवा नवीन राहत प्रदान किया जाना न्यायोचित एवं विधिसंगत नहीं है। अतः समस्त तथ्यों, अभिलेखों, पक्षकारों के तर्कों एवं विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विचारणीय नहीं है तथा खारिज किए जाने योग्य है। फलस्वरूप, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी, स्थगन आदेश में संशोधन हेतु, निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	